RS. 100

RS. 100

एक सौ रुपया

INDIA

मैं कि श्री सोहन लाल पुत्र ला० जैदयाल जाति मुलतानिया
पैदा निवासी हाल अमरतसर पंजाब शरकी पेशा दुकानदारी साकिन
बिरडी कटरा पालू वाला अमरतसर हिस्सेदार ज़मींदार ...
अन्दरून हदूद म्युनिसिपल बोर्ड आजमाबाद जिला ... का हूं
और कि रकबा मुतदय्या अन्दरून हदूद म्युनिसिपल बोर्ड आजमाबाद
है और वह मकबूज़ा वाले मुझ मुकिर की खुद काश्त व
था जिसे की बाबत मेने खरीदारान को बहलफ यह
यकीन दिला दिया है कि मकानात मुतदय्या मेरी तन्हा
मिलकियत है और इनको मेने अपनी ज़ात वाले के
रुपया से ... बै तादा इकरारी मिरज़ा बरकत
उल्ला बैग ... बै तादा तादादी बीस हजार 20000) रु०
मो तारीख 28 $\frac{8}{44}$ ई० मन्दरजा बही 1 जिल्द 822 के पृष्ठ
$\frac{58}{60}$ में नम्बर 1658 पर बतारीख 18 $\frac{10}{44}$ ई० को दफ्तर
रजिस्ट्री आजमाबाद में दर्ज हो चुका है खरीद ...
है और तमाम रकबा मुतदय्या अन्दरून हदूद म्युनि...
आजमाबाद के है जिसे की ज़मींदारी कायम है और
इमारात बै कानूनी का मोहताज नहीं है इलावा

213

29-6-53 [illegible]

[illegible]

फीस [illegible] [illegible] [illegible]

65/01 3/ 68/01 12

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी मौजा [illegible]

[illegible] ने दस्तावेज

[illegible] दफ्तर सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद मे

[illegible] [illegible]

[illegible] के [illegible] के मध्य [illegible]

[illegible]

29/6/53

[illegible] और [illegible] [illegible] 1200/-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

~~[illegible]~~

[illegible] [illegible] [illegible] पाकर

श्री [illegible]

[illegible]

[illegible]

श्री [illegible]

पुत्र [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible] ने की

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] की

श्री [illegible]

पुत्र [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible]

29/6/53

[illegible] [illegible] [illegible]

Provinces.

ایک سو (۱۰۰) روپیہ

Rs. 100 Rs. 100

एक सौ रुपया

INDIA

"नम्बरान मौजा कुलइया पिसर मुस्तरीयान की काश्तकारी में है जिसकी
वजह से कोई, गैर कानूनी या नाजायज बात नहीं है एवं मुझ मुकिर
जो ज्यादा की वजह पेशा तिजारत दुकानदारी अख्तियार है चूंकि बाद
तकमील हिन्दुस्तान एक नयी जिन्दगी में इन्कलाब पैदा हो गया है
फिर, एवं इस कदर दूर दराज फासले पर एक सीलिंग रकबा 22/2 का
इन्तजाम काश्त करना गैर मुमकिन है इसी वजह से उसको बे
करना तै करलिया है मुझ मुकिर ने खरीदारान को बखूबी यह
यकीन दिला दिया है कि नम्बरान कुलइया मुकिर की मौरूसी
हैं हर किस्म के बारे किफालत व सिहत इन्तकालात रेहन
वगैरा से पाक व साफ है, अगर इसके खिलाफ साबित होगा
तो मुकिर इसका जवाबदेही और सिवाय मुतालिबा जुर्म कानूनी
का भी रहेगा लिहाजा एवं हजारों व तमामी सीलिंग रकबा
22/2 तादादी ४।४ पुख्ता चार बीघे चार बिस्वे पुख्ता नम्बरी
मौजा मजकूर शामिल, फसल रकबा 22, बाके महाल मुस्तसना
ग्राम भौआ परगना लोनी जिला मेरठ, मय जमीन बाके मकबूजा
खुद का जो जगह मुताल्लिकात दाखली व खारजी हर किस्म
तमाम मुताल्लिक उसके यानी हक मिलकियत व कब्जा [illegible]
व हक वसूल लगान, एवं काश्तकार मुताल्लिका [illegible]
व हक, पावपाशीदिमुख मेल व मेढ़ा नालवाद [illegible]

214

19-6-53 ८०/।

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] से [illegible]

[illegible]

...d, Provinces. 75 Rs.

INDIA

पचहत्तर रुपया

SEVENTY FIVE RUPEES

व हसूल इस्तीफा, वगैरा वगैरा मिलकियतहाये इन्दराजा फसल खरीफ
१३६१ फ० बहालत सेहत नफ्स सबात अक्ल दुरुस्ती हवास खमसा
बगैर इकराह व जब्र खुद बिला इसरार दीगर किसी शख्स के
मिलकियतहाये इन्दराजा बिल एवज मुबलिग बारह हजार १२०००) रु
पांच किस्म के मुबलिग छै हजार ६०००) रु होते हैं बदस्त श्री
लाजपत राय व रघुबर दयाल व किशन स्वरूप व
कृष्ण स्वरूप पिसरान ला० रतनलाल जात वैश्य अग्रवाल निवासी
कस्बा गाजियाबाद परगना लोनी जिला मेरठ के बै कतई करदिया
है और बेच दिया है जरे समन तमाम व कमाल नकद
रु० गिन कर रजिस्ट्री रूबरू श्री सब रजिस्ट्रार श्री गाजियाबाद
वसूल पालिया है कोई हब्बा बाबत जरे समन बजिम्मे
खरीदारान बाकी नहीं रहा है इकरार यह है कि अब मिल्कियत
से मुनइया या उसके जरे समन से मेरा कोई ताल्लुक या
वास्ता बाकी नहीं रहा है और न आइन्दा होगा कब्जा
वाकई व कामिल बजरिये सुपुर्दगी व हवालगी हुकूक मालकाना
तरीके पर खरीदारान को करादिया गया है चूंकि नम्बरान जैल मुनइया
पर कब्जा बजरिये पट्टा पिदर मुश्तरीयान का है अब मुश्तरीयान
बजाये मालगुजारी सरकार के वसूल कब्जा मालकाना या इस्तीफा
काश्तकार के काबिज दखील रहकर मुतहासिल नफा व नुकसान के
होंगे चूंकि रकबा मुनइया खालसा तरहा मिलकियत मुकर के है
इसलिये खरीदारान अब नम्बरान जैल का हर तरह इन्तजाम
के सौकरो यानी पिदर खुद काश्तकार से लगान वसूल कर सकेंगे

श्री अनुराग गोयल पुत्र श्री रविन्द्र गोयल ने हस्ताक्षर किये
Anurag

GHAZIABAD

पन्द्रह रुपया

१५रु. भारत INDIA 15Rs.

FIFTEEN RUPEES

५ सरकार [illegible] या [illegible] [illegible] या [illegible] [illegible]
या किसी तरह पर चाहे इस्तेमाल मालकाना से लाभ कुछ उज्र नहीं होगा।
दाखिल खारिज मालकाना [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] कराने में कुछ उज्र नहीं होगा अगर बवजह [illegible] [illegible]
या बदइन्तजामी मेरे किसी [illegible] व शरीक [illegible] कायम [illegible]
[illegible] [illegible] या किसी बार सालिका से ही जायदाद [illegible]
से निकल जायगी तो हमको [illegible] साहेब सूरत के [illegible]
होने पर [illegible] का हक होगा कि वह [illegible] मय [illegible] का
[illegible] या कुल [illegible] सूरत पेशगी मय सूद फीसदी एक रु० माहवारी
के हिसाब से [illegible] की बाबत [illegible] नीलाम कराकर [illegible]
व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला [illegible]
व [illegible] [illegible] किसी तरह पर चाहे वापिस वसूल करने में
कुछ उज्र नहीं होगा और [illegible] [illegible] व [illegible] [illegible]
[illegible] है लिहाजा यह [illegible] कतई लिख दिया कि
सनद हो वक्त जरूरत पर काम आवे। तफसील जायदाद
मरहूना ८६१/।) ८६३/॥।३ ८६४/॥।४ ८६५/॥।१ ८८०/१/।४ ८८०/२/।२ व
८८१/॥। कुल ७ नम्बरान रकबई ४।४ पुख्ता [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] ता० २६-११-[illegible]

13/

कागज पत्र

~~शामिल मिसल होवे~~

12/07/53

बही नं. I जिल्द 836 के पृष्ठ 195/199 पर क्रमांक 1321 पर

आज दिनांक 27-7-53 को रजिस्ट्री की गई

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये

...AND RUPEES

5 JUL 2002

141159

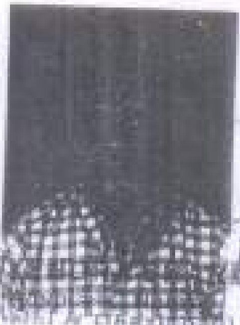

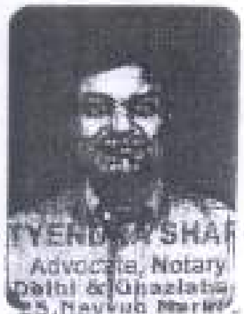

...TYENDRA SHARMA

Advocate, Notary

Delhi & Ghaziabad

25, Navyug Market

Ghaziabad

PREPARIED BY ME

CHECKED BY ME

ANIL RANA

Under Secretary

Ghaziabad Development Authority

14159

1020 ... 16/7/02 आगरा डेवलपमेंट ...
... II-C-127
नेहरू नगर ...

विक्रय विलेख 25,376/

520 20 540 1600

सुनील कुमार ...
लाजपत राय
II-C-127 नेहरू नगर गाजियाबाद
05/8/2002 A 5

Sunil Kumar

05/8/2002

25-3761

प्रशा० ...

अनिल राणा

पहचान ...
... 14/8/2002

मैं ... कर्मचारियों को ... करता हूँ

सुनील कुमार शर्मा व श्री विजय कुमार गर्ग व रविन्द्र कुमार गर्ग ... पुत्र लाजपत राय
निष्पादन उक्त ने स्वीकार किया

सत्यमेव जयते

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs. 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

141160

PREPARED BY MKY

ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development

14/162

1002 ...... 29/ ...... दिनांक 16/2/02

[illegible]

श्री [redacted] गर्ग
पुत्र [redacted]
निवासी 142 ग्रीन पार्क, न्यू बेर
श्री कृष्ण स्वरूप गर्ग
पुत्र श्री मनोज गर्ग
निवासी 128 माडल टाउन ईस्ट, गाजियाबाद

[illegible]

05/8/2002

Sunil Kumar Upvarg

Rajeev Kumar Garg

प्रथम

[illegible]

05/8/02

[illegible]

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

15 JUL 2012

PREPARED BY ME

ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development Authority

520 $\frac{27}{22}$ 16/7/02

[illegible]

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

24 JUN 2002

ANIL RANA

Under Secretary

10c. 77/22 16/7/02

प्रथम

सत्यमेव जयते

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विक्रय विलेख

यह विलेख गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास मार्ग हापुड़ रोड, गाजियाबाद, जो कि राष्ट्रपति अधिनियम संख्या - 11 सन्, 1973 पुर्नविधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 30 सन् 1974 की धारा - 4 के अधीन गठित एक निकाय है, के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से (जिसे इस विलेख मे आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक उसके विपरीत भाव मे प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासको/अधिशासको विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितो से लिया जायेगा। प्रथम पक्ष

एवं

श्री/श्रीमती/कु0 .... उम्र लगभग .... वर्ष पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... निवासी ....

....

(जिसे कि इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक है कि उसके विपरित भाव मे प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता स्वयं उसके वारिसों उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा) द्वितीय पक्ष के हित मे निष्पादित किया गया।

ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development Authority

प्रथम
सत्यमेव जयते

चूंकि जनहित मे भूमि अध्यापित करके उसे विक्रेता द्वारा विकसित किया गया है तथा क्रेता के आवेदन पत्र दिनांक ....—........ के फलस्वरूप नकद/स्वावित्त पोषित/किराया क्रय-पद्दित के अन्तर्गत दिनांक 13/5/68 ....को रूपया 25,376.00 ....प्रीमियम मूल्य के प्रति फलस्वरूप तथा रूपया.......—........ .... सम्पूर्ण पट्टा अवधि का लीज किराये पर योजना में भूखण्ड संख्या R-B-227B .... क्षेत्रफल 505.15 वर्ग मी. (604.17 वर्ग गज) ~~प्रीमियर~~ संलग्न लीज प्लान के अनुसार 90 वर्ष की अवधि के लिये क्रेता के पक्ष में 31/10/73 ....आवंटित किया गया था ।

चूंकि शासनादेश संख्या 1639/9 आ-1-95-80 मिस/86 आवास अनुभाग -1 दिनांक 10-05-95 द्वारा भूमि के मूल्य की 2 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि फ्री होल्ड के रूप मे लेकर उसे फ्री होल्ड भूमि के रूप में हस्तान्तरित करने हेतू प्राविधान किया गया है, तदनुसार क्रेता के द्वारा उक्त धनराशि रूपया......—...... (शब्दों में रूपया) ....तथा प्रीमियम की धनराशि रूपया Rs 25,376.00 ....(शब्दों में रूपया) पच्चीस हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र .... केवल गाजियाबाद प्राधिकरण कोष में जमा कर दी गई है जिसको पावती विक्रेता इस विलेख के माध्यम से स्वीकार करता है । अतः यह विलेख निम्न प्रकार से सन्दर्भित करता है।

1. यह कि क्रेता से उपरोक्तानुसार समस्त मूल्य प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता द्वारा भूखण्ड संख्या R-B-227B क्षेत्रफल 505.15 वर्ग मी. (604.17 वर्ग गज) ~~प्रीमियर~~ रियल........ [illegible] ....योजना।

जिसका विस्तृत विवरण अन्त में दिया गया है को फ्री होल्ड भूमि के रूप में क्रेता के पक्ष में विक्रय करते हुए सदैव के लिये हस्तान्तरित कर दिया गया है एवं पूर्ण स्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से क्रेता में सन्निहित कर दिये गये है कि वह नियमानुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें।

2. यह कि विक्रीत/भूखण्ड का कब्जा इस विलेख के माध्यम से क्रेता को सौंप दिया गया है।

PREPARED BY ME

ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development Auth

प्रथम
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

3. यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते है एवं भूखण्ड आवंटित करने के समय चूंकि विक्रेता विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के द्वारा दिये गये अभिनिर्णाय (एवार्ड) के आधार पर ही प्रश्नगत भूखण्ड का प्रीमियम मूल्य एवं तदनुसार फ्री होल्ड शुल्क निर्धारित किया गया है। परन्तु यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर तोषण (सोलेशियम) एवं इस मद मे ब्याज की वृद्वि के आदेश किये जाये तो क्रेता इस हेतु सहमत होता है एवं प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त प्रकार के किसी आकस्मिक कारण से हुई वृद्वि की जिम्मेदारी क्रेता द्वारा धारित भूखण्ड क्षेत्रफल भुविन्यास योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात में क्रेता पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी एवं क्रेता तदनुसार हुई वृद्वि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार दिये गये मांगपत्र की सूचना प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर क्रेता द्वारा अदायगी कर दी जायेगी इसमें असफल रहने पर यह राशि भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी।

4. यह कि क्रेता उक्त परिसर अथवा निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हिस्से को व्यक्तिगत निवास गृह के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल एवं किसी ऐसे उपयोग में नहीलायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ोस में भूखण्ड धारकों को बाधा या क्षति पहुंचती हों। क्रेता गाजियाबाद महायोजना में निर्धारित भू उपयोग से अन्यथा प्रयोग नही करेगा और न करने की अनुमति देगा इसका उल्लघंन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का क्रेता भागी होगा।

5. यह कि क्रेता के द्वारा भूखण्ड अथवा भवन दोनों सम्बन्धित अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिती द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेगी तथा क्रेता द्वारा किये गये इस प्रसंविदा को सभी मानने के लिये बाध्य होंगे।

ANIL ...
Under Secretary
Ghaziabad Development Authority

प्रथम
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

6. यह कि किसी समय उक्त भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद सन्दर्भित होने के पश्चात दोनो पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा। किसी भी स्थिति में विवाद के स्थानीय क्षेत्राधिकार केवल गाजियाबाद स्थित न्यायालय को ही प्राप्त होगा।

7. यह कि ● प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क सन्निहित करते हुए भूमि का मूल्यांकन रुपया 25,376.00 है जिस पर नियमानुसार स्टैम्प शुल्क की अदायगी क्रेता द्वारा दी गई है ।

8. यह कि क्रेता समय समय पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा।

प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिये एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी, तथा क्रेता ने स्वयं अपने स्वस्थ चित्त होकर इस विक्रेता विलेख पर अपने हस्ताक्षर तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थित में लगायी गयी ।

ऊपर संदर्भित विक्रीत भूखण्ड का विवरण

भू-विन्यासगत योजना में दी गई भूखण्ड सं० : B-II-227B ([illegible]) प्रकार : आवासीय

कुल क्षेत्रफल : 515.15 वर्ग मी० (604.17 वर्ग गज)

जिसकी पूर्वी भुजा : 62'-6" स्थित :

पश्चिमी भुजा : 71'-0"

उत्तरी भुजा : 92'-0" (95'-5")

दक्षिणी भुजा : 72+98=170'-0"

है प्रश्नगत भूखण्ड की सीमायें निम्न है।

पूरब भूखण्ड सं० : 80'-0" wide Road

पश्चिम भूखण्ड सं० : GDA Land.

उत्तर भूखण्ड सं० : [illegible]

दक्षिण भूखण्ड सं० : A-227, A-228, A 225

ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development Authority

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

साक्षीगण :

विक्रेता के लिये

Rajeev Kumar Garg

(1) हस्ताक्षर नाम (RAJEEV KU GARG)

उम्र 46

पिता का नाम Late Shri Vishnu Swarup

व्यवसाय Business

निवास 142, Rajnagar, Delhi Gate GHAZIABAD.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

(2) हस्ताक्षर नाम (KRISHAN SWARUP GARG)

उम्र 70 years

पिता का नाम Late L Kishan Lal Ji

व्यवसाय Business

निवास 120, Model Town (East) GHAZIABAD

(विक्रेता)

ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development Authority

(क्रेता के हस्ताक्षर)

ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development Authority

[illegible] सं० 5088 के पृष्ठ 187/196 [illegible] 3400 [illegible]

[illegible] 5/8/2002 को रजिस्ट्री की गई।

[illegible]

सत्यमेव जयते

प्रथम

उत्तर प्रदेश